न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 04/2020 (2020/00020)

अपीलान्ट्स

श्रीकिशन पुत्र चम्पालाल, जाति ब्राह्मण, निवासी आर0 टी0 ओ0 ऑफिस के पीछे, जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 21.01.2020 जो तहसीलदार लूणी द्वारा पारित किया गया।

————

उपस्थिति

अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापति (अपीलार्थीपक्ष)।

–: आदेश :– दिनांक :– 23.09.2022

अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 आदेश दिनांक 21.01.2020 जो तहसीलदार लूणी द्वारा पारित किया गया, के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का संपरिवर्तन आदेश दिनांक 18.03.2000 वाके खसरा नं0 647 प्लॉट संख्या 1 व 2 ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर में आया हुआ है। उपरोक्त संपरिवर्तित भूखण्ड मुख्य सड़क पर स्थित है। उपरोक्त भूखण्ड़ो के पीछे की तरफ लाखाराम वगैरा की कृषि भूमि आई हुई है। जिस भूमि के लिए लाखाराम वगैरा ने धारा 251 ए के तहत उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। लाखाराम वगैरा ने प्रार्थना–पत्र में बतलाया की उनके कृषि भूमि में जाने का रास्ता प्रार्थी के संपरिवर्तित भूखण्डों में से गुजरता है। विधिनुसार संपरिवर्तित रहवासीय भूमि [illegible] नहीं दिया जा सकता है ऐसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:58 IST
Reason: SelfAttested

स्थिति में लाखाराम वगैरा द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई कि अपीलान्ट द्वारा संपरिवर्तित भूखण्डों का कृषि के रूप में ही उपयोग किया जा रहा है। इस पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी को नोटिस जारी किया एवं प्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर प्रकरण के तथ्यों से तहसीलदर लूणी को अवगत कराया परन्तु तहसीलदार लूणी द्वारा तमाम दस्तावेज, साक्ष्य एवं कानूनी स्थिति को दरकिनार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर संपरिवर्तित आदेश को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलान्टगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत करने पर इससे पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विधिवत् नोटिस तामिल हुए। अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अपीलार्थीपक्ष अभिभाषक की बहस दिनांक 30.08.2022 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गयी।

अपीलार्थीपक्ष अभिभाषक ने अपनी बहस में बतलाया कि अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर व तथ्यात्मक स्थिति के विपरीत जाकर पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रकरण में तथ्यों एवं साक्ष्यों का समुचित विश्लेषण किये बिना ही पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि स्वीकृत नक्शे की वास्तविक रिपोर्ट बनाए बिना शिकायत को आधार बनाकर एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया। वास्तव में संपरिवर्तित भूमि के मौके पर प्रार्थी द्वारा संपरिवर्तित के समय ही कच्चे ठांव बने हुए थे तथा मौके पर संपरिवर्तित भूमि का कृषि करने के उपयोग में नहीं ली जा रही है। अपीलान्ट द्वारा पक्का निर्माण करवाने हेतु सामाग्री डलवाई हुई है परन्तु लाखाराम वगैरा द्वारा विवाद करने के कारण अपीलान्ट द्वारा निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया जिसका फायदा उठाकर शिकायत कर अपीलाधीन आदेश पारित करवा दिया जो किसी भी रूप में न्यायसंगत नहीं है। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस में आगे बतलाया कि संपरिवर्तन नियम, 1992 बाध्यकारी शर्तों पर आधारित नहीं है समय–समय पर राज्य सरकार एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:58 IST
Reason: SelfAttested

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शर्तों में छूट दी एवं तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर राहत प्रदान की गयी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।

हमने अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अवगत कराया कि मौके पर पूर्व में कच्चा निर्माण था जिसे अपीलार्थी द्वारा हटाकर निर्माण सामाग्री डालकर पुनः नया निर्माण किया जा रहा था लेकिन लाखाराम वगैरा द्वारा विवाद करने के कारण निर्माण कार्य बन्द करवा दिया गया। उक्त अवधि के दौरान ही तहसीलदार के समक्ष संपरिवर्तन आदेश निरस्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जिस पर तहसीलदार लूणी ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर संपरिवर्तन आदेश दिनांक 18.03.2000 को निरस्त कर दिया। तहसीलदार लूणी ने प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा साक्ष्य लिए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है, परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार लूणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.01.2020 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रार्थी को साक्ष्य सबूत व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का नियमानुसार निस्तारण करें। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 23.09.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:22:58 IST
Reason: SelfAttested